ज्ञापांक–3090/तक0

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–26वीं नवम्बर 2019

सेवा में,

श्री अजीत कुमार चक्रवती एण्ड अन्य,
पोस्ट ऑफिस रोड, मानगो, जमशेदपुर।

विषयः– **मौजा–मानगो, प्लॉट नं0–3171, खाता नं0–681, वार्ड नं0–10, थाना नं0–16411, जिला–पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित आवासीय भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित आवासीय भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–795 दिनांक–18.11.2019 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित आवासीय भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम पच्चास हजार लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. अग्निशमन कार्य हेतु प्रस्तावित भवनों में कम से कम बीस हजार लीटर क्षमता वाले एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवन में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. 450 Lpm क्षमता का एक–एक टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
5. 1620 Lpm क्षमता का एक बेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
6. समान क्षमता का एक अतिरिक्त वैकल्पिक पावर चालित पम्प रखे जाने की व्यवस्था की जाय। इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
7. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
8. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
9. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
10. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. Manually Operated Electrical Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
12. भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
14. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।

15. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
16. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(बन्धु उराँव)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमान पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।